संख्या-826/एक-10-2023-33(04)/2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
युवा कल्याण विभाग,
उ०प्र० शासन।

08.06.2023

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः #Approved Date#

विषयः- राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, पी०आर०डी० एवं स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण तथा जनपद स्तर पर मंगल दल के युवाओं के प्रशिक्षण व आपदा प्रतयुत्तर हेतु वालेन्टियर्स को इमेरजेन्सी रेस्पॉन्डर किट उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-651/पचास-यु०क०/2023, दिनांक-31.03.2023 एवं महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-2470/पाँच-20/प्रा०र०द०/2023, दिनांक-28.0302023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, पी०आर०डी० एवं स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण तथा जनपद स्तर पर मंगल दल के युवाओं के प्रशिक्षण व आपदा प्रतयुत्तर हेतु वालेन्टियर्स को इमेरजेन्सी रेस्पॉन्डर किट उपलब्ध कराने हेतु रू० 10,76,10,000/- की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की वैठक दिनांक-17.05.2023 में लिए गए निर्णयानुसार **तालिका-अ** में उल्लिखित विवरणों के आधार पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, पी०आर०डी० एवं स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण तथा जनपद स्तर पर मंगल दल के युवाओं के प्रशिक्षण व आपदा प्रतयुत्तर हेतु वालेन्टियर्स को इमेरजेन्सी रेस्पॉन्डर किट उपलब्ध कराने हेतु **राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वितीय वर्ष-2023-24 में रु० 9,46,00,000/- (नौ करोड़ छियालिस लाख मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिवन्धों के अधीन **अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण विभाग के निवर्तन पर रखने** की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उ०प्र०, लखनऊ को अविलम्ब अवमुक्त की जाये।

तालिका-अ

विभागीय प्रस्ताव						विभागीय प्रस्ताव के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
Sl. No.	Activities	Level/ Details	Rate	Total No.	Amount (Rs.)	

				Trg/ Kits		(रू० में)
(A) Training at Mandal & District Level						
1	10 Days TOT of District Resource person, 30 persons in a batch at Mandal Level (04 Participants from each Districts of UP i.e 300 participants will be trained)	State level training to District level Trainers	@Rs.1500/- per day per head as per DOPT	10	4500000	-/15,00,000 (100 प्रतिभागियों के लिए)
			TA per Participant Rs @500/-	-	150000	-/50,000 (100 प्रतिभागियों के लिए)
2 (a)	05 Day Training to Yuva Volunteers, each bath would have 40 participants (After training they would be called Yuva Apda Prahari Volunteers)	District Level Training to Yuva Apda Prahari Volunteers (17000 Participants)	@Rs.1000/- per day per head as per DOPT	425	85000000	2,75,00,000 -/ (5500 प्रतिभागियों के लिए)
			TA per Participant Rs @300/-	-	5100000	-/16,50,000 (5500 प्रतिभागियों के लिए)
(b)	10 Day Training to PRD Volunteers at State level. Each bath would have 40 participants (After training they would be called Yuva Apda Mochak Prahari PRD Volunteers)	State Level Training to Apda Mochak Prahari PRD Volunteers (3000 Participants)	@Rs.1000/- per day per head as per DOPT	75	30000000	1,00,00,000 -/ (1000 प्रतिभागियों के लिए)
			TA per Participant Rs @500/-	-	1500000	-/5,00,000 (1000 प्रतिभागियों के लिए)
(A)	12,62,50,000				Total of	4,12,00,000/-
(B) Capacity building of Yuva Apda Prhari Volenteers and Yuva Apda Mochak Prahari PRD Volunteers as First Responder by providing Emergency Responder Kit						
3	Emergency Response Kit to each of the 20,000 Yuva Apda Prahari Volunteers	This kit would be given to each of the volunteers during training. All the volunteers would be trained to use these equipments for relief and rescue works	**Cost per kit @ Rs 8000**	20,000	16,00,00,000	5,20,00,000 -/ (6500 प्रतिभागियों के लिए)

4	Preparation of Documentary on Lighting, Floods, Fires, Droughts, snake bites.	State Level	@5,00,000		5,00,000	5,00,000
5	Monitoring and Documentation and preparation of Reports and Documentary , Transport, Printing of Documents/ Administrative reports	State, Division and District Level	@20,00,00		20,00,000	6,00,000
6	One Day Workshop and Closing Programme after finishing of Campaign at State level	State Level	10,00,000		10,00,000	3,00,000
Total of (B) 16,35,00,000						**5,34,00,000/-**
Grand Total (A+B) 28,97,50,000						**9,46,00,000/-**

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020-NDM-I, दिनांक-14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
8. ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
9. इमेरजेन्सी रेस्पॉन्डर किट के क्रय की प्रक्रिया में कमान्डेण्ट एस०डी०आर०एफ० को भी सम्मिलित किया जाएगा।
10. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय एक साथ चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये 9,46,00,000/- (नौ करोड़ छियालिस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष-2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग
Date: 08-06-2023 11:22:47
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्याः-826(1)/एक-10-2023-33(04)/2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उ०प्र०, लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
8- राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-03/07/2023

प्रेषण संख्या:- 826
आवंटन आदेश संख्या:- 001-826
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2288-महानिदेशक, प्रांतीय रक्षक दल/ विकास दल एवं युवा कल्याण निदेशालय , लखनऊ-01-महानिदेशक	वर्तमान प्रगामी	94600000 94600000	94600000 94600000
	योग	वर्तमान प्रगामी	94600000 94600000	94600000 94600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ छियालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ छियालीस लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.07.03 04:47:36 +05:30